रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-963/2026/798/22-2-2026-17(315)/2016

लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य दिवस, 2026 (07 अप्रैल, 2026) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश (बन्दी संख्या-39011) पुत्र श्री मंशाराम, जो मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेडा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-212/2002 व 235/2002, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 436/149, 506, 148 व 7 सी०एल०ए० एक्ट एवं 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी.एक्ट), पीलीभीत के दण्डादेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.04.2026 तक अपरिहार 25 वर्ष, 00 माह, 17 दिन एवं सपरिहार 31 वर्ष, 11 माह, 19 दिन की सजा, कारावास की अवधि में बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये रू0 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-963/2026/798(1)/22-2-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

3- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in